

03/05/19

पत्रावली पत्र इडि. वार्थी भय वकील उपर,
प्राथी ने भय वकील उपर सोन (निपेडन) किया
कि हम पत्रकारन के मध्य राजीनामा हो
जया अतः प्रकरण में कोई अडरोप शेष -
नही है अतः प्राथीना पत्र इडि स्टेप प
विडो व नोट पुज फरमाया जावे।

प्राथी व उनके वकील की वकल पर मनन
किया गया. वार्थी का प्राथीना पत्र अंतर्गत -
धारा 212 R.T.A इडि स्टेप प विडो व
नोटपुज किया जाता है. कम दिनांक -

03.05.2019 को न्यायालय द्वारा प्राथी
अंतर्गत अलथाई निपेधात्रा खारिज की
जाती है पत्रावली के मल सुया होकर
दाखिल उपरत हो।

(सुरेन्द्र पटनायक)
उपस्थण्ड अधिकारी

नगर (भरतपुर) राब.